प्रेस विज्ञप्ति

17.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन बैंक अधिकारियों कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी और आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की 10.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरजीपीवी विश्वविद्यालय के धन के गबन के मामले में अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने आरजीपीवी विश्वविद्यालय के 19.48 करोड़ रुपये के धन के गबन के मामले में आरजीपीवी विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत गांधी नगर पुलिस स्टेशन, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों कुमार मयंक और अन्य लोगों ने यूनिवर्सिटी के 19.48 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी की है और इसका प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए किया है। इससे पहले, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान 1.67 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, म्यूचुअल फंड और बैंक बैलेंस भी फ्रीज किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।